रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092022-239030
CG-DL-E-23092022-239030

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4302]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022/आश्विन 1, 1944
No. 4302]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022/ ASVINA 1, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2022

का.आ. 4491(अ.).— जबकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (यहां इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) को 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और बाद में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार,स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 24 सितंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 3262 (अ.)के तहत 25 सितम्बर 2020 से प्रवृत्त हुआ।

और जबकि अधिनियम की धारा 15 में अंतिम वर्ष की एक सामान्य स्नातक परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है, जिसे राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) कहा जाना है, जो चिकित्सा प्रैक्टिस के लिए पंजीकरण, पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश और विदेशी चिकित्सा स्नातकों के लिए आधुनिक चिकित्सा में प्रैक्टिस हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट का आधार होगा। । नेक्स्टको एनएमसी अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने से तीन वर्षों के भीतर अर्थात 25 सितंबर, 2022 से कार्यशील होना है और इसे ऐसे किसी नामोद्दिष्ट प्राधिकरण के माध्यम से और ऐसी रीति से आयोजित किया जाना है जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

और जबकि लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद भी इस मामले में विनियम अभी बनाए जाने हैं और परीक्षा प्रकोष्ठ का गठन भी प्रक्रियाधीन है।

अब, इसलिए, केंद्र सरकारराष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, नामत:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

   (1) इस आदेश का नाम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग प्रथम (कठिनाइयों को दूर किया जाना) आदेश, 2022 है।

   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्तहोगा।

2. अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

[फा. सं.वी.11025/321/2022-एमईपी]

वी हेकाली झिमोमी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

ORDER

New Delhi, the 23rd September, 2022

S.O. 4491(E).—Whereas the National Medical Commission Act, 2019 (hereinafter referred to as the Act) received the assent of the President on 8th August, 2019 and subsequently came into the effect w.e.f. 25^{th} September, 2020 vide Notification number S.O. 3262(E) dated 24^{th} September, 2020, of Government of India Ministry of Health and Family Welfare, published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii).

AND WHEREAS Section 15 of the Act provides for conduct of a common final year undergraduate examination, to be known as the National Exit Test (NExT) which shall be the basis for Registration to practice medicine, admission to PG medical courses and Screening Test for foreign medical graduates to practice modern medicine. The NExT is to be operational within three years from the commencement of NMC Act, 2019 i.e. 25^{th} September, 2022 and is to be conducted through such a designated authority and in such a manner as may be specified by regulations.

AND WHEREAS even passing of almost two years, regulations in the matter is yet to be framed and also constitution of Examination Cell is under process.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 59 of the National Medical Commission Act, 2019, the Central Government hereby makes the following Order, to remove the above said difficulties, namely:

1. Short title and commencement:

   (1) This Order may be called the National Medical Commission 1^{st} (Removal of Difficulties) Order, 2022.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-section (3) of section 15 of the Act, for the words, “three years”, the words “four years” shall be substituted;

[F. No.V.11025/321/2022-MEP]

V HEKALI ZHIMOMI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA